



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/मू-प्रबंध/विद्युत/479-160/ 864

रायपुर, दिनांक 2/04/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: - Diversion of 6.690 ha. of Forest Land in favour of M/s Malka Renewable Energy Pvt. Ltd. Secunderabad for Small Hydro Electric Project in Dharamjaigarh Forest Division in Raigarh District in the State of Chhattisgarh - reg.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/HYD/25660/2017

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/CH-115/2019-NGP/5895 दिनांक 15-11-2019
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 919 दिनांक 31.03.2022

-00-

संदर्भित पत्र -1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत विषयांकित प्रकरण "लघु जल विद्युत परियोजना निर्माण" में कुल रकबा 6.690 हे. वन क्षेत्र में गैर वानिकी उपयोग हेतु M/s Malka Renewable Energy Pvt. Ltd. Secunderabad को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति उपरांत पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
1. a.	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest deptt. over 7.47 hect. non forest land Kh.no. 145/1 under the regakhar range & Kh. No. 54/3 unde Salhewaha range at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any spices may be avoided.	शर्त अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु आवेदक संस्थान द्वारा राशि रु.59,67,761/- कैम्पा खाता में ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा किया गया है। पुष्टि हेतु चालान / पेमेन्ट स्टेटमेंट की प्रति संलग्नक-1।
b.	The non-forest land proposed for CA shall transferred and mutated in the name of forest deptt. And notified as RF/PF prior to stage 2 approval. A copy of the original notification declaring the non-forest and under sec-4 or 29 of the Indian forest act.1927 or under the relevant sec- of the state forest act as the case may be, will be submitted by the state Govt. prior to stage II approval.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कवर्धा वनमण्डल अन्तर्गत निजी भूमि खसरा नं. 145/1 रकबा 1.81 हे. एवं खैरागढ़ वनमण्डल अन्तर्गत खसरा नं. 54/3 रकबा 5.668 हे. कुल 7.470 हे. में प्रस्तावित है। आवेदक विभाग द्वारा उक्त निजी खसरा का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण नामांतरण कराया जा चुका है। संलग्नक-2

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
		खैरागढ़ वन मंडल में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा 5.688 हे. का अधिसूचना प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ विद्युत/ 479-160/ 583 दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है तथा कवर्धा वनमण्डल में प्रस्तावित रकबा 1.81 हे. का अधिसूचना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। संलग्नक-3
ii.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest deptt. by the project authority the CA will be maintained for 10 years the scheme may be included appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक-4
iii a.	The state govt. shall charge the NPV for the 6.69 hect. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble supreme court of India orders in this regards.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 6.69 हे. वन भूमि का आवेदक संस्थान द्वारा निर्धारित दर अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 22,70,970/- ई चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में ऑन लाईन जमा किया गया है। पुष्टि हेतु चालान / पेमेन्ट स्टेटमेंट की प्रति संलग्नक-1
b.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme court of India on receipt of the report from the expert committee shall be charged by the state govt. from the user agency. The user agency shall furnish an under takin to this effect.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक-5
iv.	The cost of faling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest deptt.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक-6
v.	Copy of the approval catchment area treatment plan if applicable shall be submitted in accordance to FCA 1980	प्रकरण लघु जल विद्युत परियोजना होने के कारण catchment area treatment plan की आवश्यकता नहीं है। संबंधित विभाग का पत्र संलग्न है। संलग्नक-7
vi.	The complete compliance of the FRA 2006	शर्त अनुसार प्रकरण में कलेक्टर, जिला रायगढ़

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	shall be insured by the way of prescribed certificate from the concerned district collector.	द्वारा जारी वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-8
vii.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMPA fund only through e-portal.	प्रकरण में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल राशि रु. 82,38,731/- ई-चालान के माध्यम से आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा खाता में जमा की गई है। पुष्टि हेतु चालान / पेमेन्ट स्टेटमेंट की प्रति संलग्नक-1
viii.	The compliance report shall be uploaded through e-portal	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक-9

कृपया प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुए अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (संलग्नक 01 से 09 तक)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-160/865
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
3. मेसर्स मलका रिन्युएबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड।

रायपुर, दिनांक 12/04/2022


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़